

भाजपा में अनुशासन या पद का कवच

मोरवा प्रकरण ने खोली पोल, पुराने मामलों में दिखी थी त्वरित सख्ती, बैस समाज फिर मुखर होने की तैयारी में

नवभारत न्यूज सिंगरौली 18 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन और कार्रवाई को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा मंडल मोरवा के अध्यक्ष विनोद सिंह कुरवशी के खिलाफ अब तक न तो पार्टी से निष्कासन की कार्रवाई की गई है और न ही उन्हें पद से पृथक्

किया गया है, जबकि पार्टी द्वारा जारी नोटिस का जवाब 12 जनवरी के पूर्व ही दिया जा चुका था। इस पूरे घटनाक्रम ने भाजपा नेताओं के कथित दोहरे मापदंड को उजागर कर दिया है।

राजनीतिक गलियारों में इस मामले को तुलना वर्ष 2023 के प्रकरण से की जा रही है, जब भाजपा



जिला कार्य समिति सदस्य प्रवीण तिवारी को तत्कालीन जिला अध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता ने अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस जारी किया था। उस समय नोटिस के साथ ही बेहद कम समय में प्रवीण तिवारी को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। खाम बात यह रही कि प्रवीण तिवारी ने भी अपना जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जिला अध्यक्ष और अन्य नेता उस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और तत्काल सख्त कार्रवाई कर दी गई। हालांकि बाद में प्रवीण तिवारी को पार्टी में

प्रतिनिधि मण्डल भोपाल जाने की तैयारी में

अब बैस समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि जिला स्तर पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया, तो समाज का प्रतिनिधि मंडल भोपाल पहुंचकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सीधे मुलाकात करेगा और उन्हें ज्ञापन सौंपकर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेगा। इसके साथ ही जिला भाजपा कार्यालय में ज्ञापन और बड़े आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन की यह चुप्पी भाजपा के अनुशासन और नैतिकता के दांवों को कमजोर कर रही है। कार्रवाई में देरी अब संगठन के लिए ही भारी पड़ती नजर आ रही है।

मुख्यालय के सामने घंटित घटना से जुड़ा है। आरोप है कि संविदा कर्मा शंकर प्रसाद बैस के पुत्र सत्यनारायण बैस के भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद कुरवशी और उनके आधा दर्जन साथियों ने बेरहमी से मारपीट की थी। घटना के बाद मामला तूल पकड़ गया और मोरवा थाने में विनोद सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस घटना से बैस समाज में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। समाज के लोगों ने संगठित

होकर भाजपा जिला अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि मंडल अध्यक्ष को पद से पृथक् कर पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया, तो बैस समाज बड़ा आंदोलन करेगा। दबाव बढ़ने पर भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा मंडल अध्यक्ष को नोटिस तो जारी किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

इनका कहना :-

विनोद कुरवशी का जवाब प्राप्त हुआ है। उसी जवाब को प्रदेश कार्यालय भेज दिया गया है। सुन्दरलाल शाह जिलाध्यक्ष-भाजपा, सिंगरौली



अतिथि विद्वान के खिलाफ महिला थाना में अपराध पंजीबद्ध, जांच शुरू

छात्रा ने की रिपोर्ट, व्हाट्सएप कॉलिंग का मामला

नवभारत न्यूज सिंगरौली 18 जनवरी। डिग्री कॉलेज बैदुन के अतिथि विद्वान शिवेश साकेत के विरुद्ध एक छात्रा की रिपोर्ट पर महिला पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध की है। छात्रा का आरोप है कि रात में व्हाट्सएप कॉलिंग कर अश्लील बातें कर रहे थे और रविवार को अकेले कॉलेज में बुला रहे थे।

दरअसल एक एमएससी थर्ड सेमेस्टर की छात्रा ने महिला थाना बैदुन में अपराध पंजीबद्ध कराई है कि रात में 8:41 के बाद दूसरी बार 10:39 बजे रात शिवेश साकेत के द्वारा व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से बात किया और रात

10:39 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से ही रविवार को कॉलेज आने के लिए बुला रहे थे और अश्लील बातें करने लगे थे। छात्रा एट्रोकेटी पेपर में शामिल नहीं हो पाई थी। इसी का फायदा उठाने का प्रयास किया था। छात्रा का आरोप है कि उसकी नियत पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। छात्रा के इस रिपोर्ट पर महिला पुलिस ने आरोपी अतिथि विद्वान के विरुद्ध बीएनएस की धारा 75(1)(ब) के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। वहीं कल दिन सोमवार को दोपहर 1 बजे छात्रा डिग्री कॉलेज के पॉल सदस्योय टीम के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेगी।

नोटिस का जवाब मिलने पर भी कार्रवाई शून्य

इस पूरे मामले पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह का कहना है कि विनोद कुरवशी ने नोटिस का जवाब दे दिया है, जिसे प्रदेश कार्यालय भेज दिया गया है और वहीं से अंतिम निर्णय होगा। लेकिन यही सवाल उठ रहा है कि जब प्रवीण तिवारी जिला कार्य समिति सदस्य थे, तब उनका मामला प्रदेश कार्यालय क्यों नहीं भेजा गया और तत्काल निष्कासन क्यों किया गया था। अब बैस समाज एक बार फिर मुखर होने की रणनीति बना रहा है। समाज के नेताओं का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे प्रदेश कार्यालय जाकर प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से मुलाकात करेंगे और पूरे घटनाक्रम से अलग करवाए जाएंगे। भाजपा के लिए यह मामला केवल अनुशासन का नहीं, बल्कि संगठन की निष्पक्षता और विश्वसनीयता की बड़ी परीक्षा बनता जा रहा है।

एक नजर में

पीएम श्री विद्यालय गत्रई का प्रेरक एक्सपोजर विजिट



सरई। पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गत्रई द्वारा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए एक सार्थक एवं ज्ञानवर्धक एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। यह शैक्षिक भ्रमण केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहकर इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, प्रकृति और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रस्तुत रूप से समझने का सशक्त माध्यम बना। भ्रमण के प्रथम दिवस विद्यार्थियों को रायसेन जिले में स्थित विश्विख्यात सांची स्तूप के दर्शन कराए गए। यहाँ विद्यार्थियों ने बौद्ध स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण को न केवल देखा, बल्कि उसके ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व को भी गहराई से समझा।

थाना परिसर से ट्रैक्टर गायब, चन्द घंटों में बरामद सिंगरौली। जिलाध्यक्ष थाना परिसर से अचानक एक ट्रैक्टर गायब हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के हाथ-पैर फूलने लगे। थाना प्रभारी सक्रिय हुये और मजौना से ट्रैक्टर बरामद कर



एनएच-135 सी प्रयागराज-सिंगरौली पर संकट, अब जनता हुई मुखर

नेताओं और अधिकारियों की भूमिका पर सवालिया निशान

नवभारत न्यूज चित्तौरी 18 जनवरी। प्रस्तावित नेशनल हाइवे 135 सी प्रयागराज वाया सिंगरौली का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। वर्षों से लिखित इस महत्वपूर्ण परियोजना को लेकर अब क्षेत्रवासी खुलकर सवाल उठाने लगे हैं।

आरोप लगाए जा रहे हैं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता और कथित हस्तक्षेप के चलते यह राष्ट्रीय राजमार्ग उठे बस्ते में चला गया है। जिस सड़क को जिले के विकास की लाइफलाइन माना जा रहा था, वही आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि प्रयागराज वाया सिंगरौली प्रस्तावित एनएच-135सी का प्रारंभिक एलाइनमेंट जिले के लिए अत्यंत लाभकारी था। इससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिलती, बल्कि आवागमन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा

रजमिलान अतिक्रमण की गिरफ्त में, बना जाम का कारण

टेला व्यवसायों और दुकानदारों का फुटपाथ पर कब्जा, पैदल चलना भी मुश्किल, रोजाना सैकड़ों कोयला वाहन व भारी ट्रैफिक

नवभारत न्यूज सिंगरौली 18 जनवरी। बैदुन ब्लॉक अंतर्गत रजमिलान कस्बा इन दिनों अतिक्रमण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। कस्बे की मुख्य सिमेंटल सड़क पर दोनों ओर टेला व्यवसायों और स्थायी दुकानदारों ने इस कदर कब्जा जमा लिया है कि सड़क का वास्तविक स्वरूप ही समाप्त हो गया है। स्थिति यह है कि फुटपाथ पूरी तरह अतिक्रमण की चपेट में है और सड़क लगातार संकरी होती जा रही है।



यह मार्ग केवल स्थानीय आवागमन का ही नहीं, बल्कि भारी यातायात का प्रमुख रास्ता है। इसी सड़क से रोजाना सैकड़ों की संख्या में कोयला लोड वाहन अप-डाउन करते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में छोटे-बड़े वाहन सरई और माड़ा की ओर इसी मार्ग से गुजरते हैं। सीमित चौड़ाई और अतिक्रमण के कारण यहां दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के दौरान वाहन चालकों और दुकानदारों के बीच तूटू-मैमें और विवाद आम बात हो चुकी है। कई बार स्थिति हाथापाई तक पहुंच

जाती है, जिससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर पैदल चलना भी जोखिम भरा हो गया है, खासकर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए। अतिक्रमण और भारी यातायात के कारण इस मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। माड़ा उपखंड अधिकारी और राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने के प्रति कोई खास दिलचस्पी दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं। कभी-कभार औपचारिक चेतावनी देकर प्रशासन

अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से बाइक सवार की मौत

मंदिर पार्किंग एवं मुख्य मार्ग पर बेतरकीब बड़े वाहनों के खड़ा किए जाने से हुई है बड़ी घटना

नवभारत न्यूज शक्तिनगर 18 जनवरी। स्थानीय शक्तिनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ज्वालामुखी मंदिर मुख्य मार्ग पर बीते शनिवार की शाम लगभग 8 बजे परियोजना से ड्यूटी करके घर वापस आ रहे बाइक सवार उदय कुशवाहा पुत्र ईश्वरी प्रसाद उम्र 23 वर्ष को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार स्थान पर ही निरगम्य।



राहगीरों ने उठकर संजीवनी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा

चायल को मृतक घोषित कर दिया गया। स्थानीय लोगों की माने तो ज्वालामुखी मुख्य मार्ग समीप परियोजना में कार्यरत बीएचईएल कंपनी द्वारा मटेरियल यार्ड बनाया गया है। मटेरियल यार्ड के सामने मंदिर के पार्किंग में बड़े-बड़े वाहनों को खड़ा किया जाता है। वहां मुख्य मार्ग के दोनों पटरी पर भी खड़े



महिलाओं को वित्तीय साक्षरता का मिला प्रशिक्षण

नवभारत न्यूज सिंगरौली 18 जनवरी। कलेक्टर गौरव बैनल एवं जिला पंचायत सोईओ के मार्गदर्शन में ज्वालामुखी स्तरीय संगठन में महिलाओं को वित्तीय साक्षरता का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बचत, बीमा, पेंशन, बैंकिंग सेवाओं, विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा साइबर क्राइम से बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया।

संगीत न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह अनुशासन सिखाता है: थापर

डीपीएस निगाही में एकल गीत प्रतियोगिता आयोजित, सुरों की गूंज से गूंजा सभागार, झेलम सदन रहा अक्वल

नवभारत न्यूज सिंगरौली 18 जनवरी। दिल्ली पब्लिक स्कूल निगाही के सभागार में अंतर सदनिय एकल गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उक्त प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए प्राचार्य सुखवंत सिंह थापर ने बताया कि इस प्रतियोगिता का आयोजन विद्यार्थियों की संगीत प्रतिभा को निखारने और उन्हें मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।



निर्यात अभ्यास, धैर्य और सुमन राय एवं नवदेव नाथ तिवारी ने बच्चों की गायन-कला के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करते हुए समुचित निर्णय दिए। प्रतियोगिता की सफलता के बाद निर्णायक मंडल के सदस्यों ने अपने संबोधन में बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी

प्राचार्य श्री थापर, प्रियंका राज, सुमन राय एवं नवदेव नाथ तिवारी ने बच्चों की गायन-कला के विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन करते हुए समुचित निर्णय दिए। प्रतियोगिता की सफलता के बाद निर्णायक मंडल के सदस्यों ने अपने संबोधन में बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इतनी

छोटी आयु में विद्यार्थियों द्वारा संगीत को समझ और आत्मविश्वास सराहनीय है। प्राचार्य ने अपने संबोधन में सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए अपने प्रेरक संबोधन में कहा कि संगीत न केवल रक्तदान का माध्यम है, बल्कि यह अनुशासन, एकाग्रता और संवेदनशीलता भी सिखाता है।

निजी स्कूल के शिक्षकों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

नवभारत न्यूज सिंगरौली 18 जनवरी। शोमफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरगवां में आज दिन रविवार को इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा संचालित रेडक्रॉस ब्लड सेंटर के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसमें कुल 25 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया।



इस अवसर पर स्कूल की डायरेक्टर प्रतिभा सिंह एवं उनके पति समीर सिंह ने स्वयं स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में स्वैच्छिक शिक्षकगण, विद्यार्थियों के अभिभावक एवं महिला शिक्षिका ने बड़े-चढ़कर भाग

मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी उजागर, श्रम विभाग का नोटिस, करोड़ों का मामला

सूत्रों का दावा: अब तक संविदाकार ने राशि जमा नहीं की, मजदूरों ने फिर से कलेक्टर के यहां की है शिकायत, संविदाकार पर मनमानी करने का आरोप

नवभारत न्यूज सिंगरौली 18 जनवरी। जिले में श्रमिकों के अधिकारों के साथ गंभीर खिलवाड़ का मामला अब पूरी तरह दस्तावेजों के आधार पर सामने आ गया है। कार्यालय सहायक श्रमायुक्त द्वारा जारी नोटिस में नेहल करगटिया नियोजक/संचालक, हितेश आर्या मैनेजिंग डायरेक्टर वैरासिटी स्प्लाई चैन लिमिटेड को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के उल्लंघन का दोषी पाया

गया है। संबंधित कंपनी वर्तमान में कोलयाई गजरा बहुरा-सरई में संविदा के माध्यम से कार्यरत है, जहां बड़ी संख्या में श्रमिकों को नियोजित किया गया है। श्रम विभाग के अनुसार 12 अगस्त 2025 को श्रम निरीक्षक द्वारा गजरा बहुरा क्षेत्र में कार्यरत उक्त कंपनी के कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि श्रमिकों को नियमानुसार निर्धारित वेतन पर मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। इसके

बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 25 अगस्त 2025 को प्रस्तुत जवाब भी असंतोषजनक पाए जाने पर विस्तृत जांच की गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कुल 338 श्रमिकों को 8 करोड़ 68 लाख 97 हजार 696 रुपये की मजदूरी राशि अब तक भुगतान नहीं की गई है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सहायक श्रमायुक्त ने नेहल करगटिया नियोजक/संचालक, हितेश आर्या मैनेजिंग डायरेक्टर वैरासिटी स्प्लाई चैन लिमिटेड को निर्देशित किया है कि वह 7 दिवस के भीतर बकाया मजदूरी राशि जमा करें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी से करीब 9 करोड़ 50 लाख से अधिक रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अलग से वसूल की जाएगी और संपूर्ण राशि की वसूली राजस्व वसूली की प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि नोटिस जारी होने और सख्त निर्देशों के बावजूद अब तक कंपनी द्वारा न तो मजदूरी

को निर्देशित किया है कि वह 7 दिवस के भीतर बकाया मजदूरी राशि जमा करें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी से करीब 9 करोड़ 50 लाख से अधिक रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अलग से वसूल की जाएगी और संपूर्ण राशि की वसूली राजस्व वसूली की प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि नोटिस जारी होने और सख्त निर्देशों के बावजूद अब तक कंपनी द्वारा न तो मजदूरी को निर्देशित किया है कि वह 7 दिवस के भीतर बकाया मजदूरी राशि जमा करें। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होने की स्थिति में कंपनी से करीब 9 करोड़ 50 लाख से अधिक रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अलग से वसूल की जाएगी और संपूर्ण राशि की वसूली राजस्व वसूली की प्रक्रिया के तहत की जाएगी। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि नोटिस जारी होने और सख्त निर्देशों के बावजूद अब तक कंपनी द्वारा न तो मजदूरी